

पत्रावली औरेश वास्ते पेश हुई। वकील वारी हाजिर।

तको पर मनन किया गया और पत्रावली का अलमोकन किया गया। वारी द्वारा स्वयं का 1/4 हिस्सा का विभाजन - वादा गया है परन्तु दोनो की तमीरिंग में अन्य प्रतिवादीगण सं 3 ता 21 के हिस्सा का अलग - अलग निवारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पक्षकारों का वार्ड प्रीस एण्ड वाउचर्स बंद वारी नहीं किया जा सकता है।


अतः औरेश है कि ~~व~~ दोनो वारी खारिज किया जाता है। वारी पक्षकारों के हिस्सा का पूर्ण

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हु
की तामील में जारी

विवरण दर्ज करते हुए नए सिरे से दावा
प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, काट
तामिल तकमिल दखिल दफतर हो। निर्णय आज
दिनांक 01.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया
गया।



(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी